Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

भैरूसिंह **बनाम** **धनराज वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :- नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र**	नं0 **001**	सन् **2018**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हमने पत्रावली का आद्योपातं अवलोकन किया। प्रकरण विगत लम्बे समय से तलबी में नियत है। न्यायालय आदेशिका का अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रकरण में अंतिम बार दिनांक 04.02.2020 अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये जो कि बाद/अदम तामील लौट कर प्राप्त नहीं है। तत्पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 07.12.2021, 11.01.2022, 27.04.2022 एवं 07.06.2022 से अधिवक्ता प्रार्थी को नोटिस पेश किये जाने के संबंध में हिदायत दी गई है, किन्तु वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस आजदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। आज भी पर्याप्त समय एवं अवसर दिये जाने के उपरांत भी वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की तलबी हेतु नोटिस पेश नहीं किये गये है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि प्रार्थी/वकील प्रार्थी हस्तगत प्रकरण को चलाये जाने हेतु किसी भी प्रकार से कोई विशेष रूचि/सजगता नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र को अदम तामील, अदम तकमील (व्यतिक्रम) में खारीज किये जाने के अलावा और कोई विकल्प पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को अदम तकमील खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय अहकाम की प्रति के भिजवाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.08.2023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official